न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर(राज.)

(पीठासीन अधिकारी : दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 12/2022 (निगरानी पंचायत)

GCMS No : 2022/39

अनवान

1. श्री रविन्द्र कुमार पिता दशरथलाल शर्मा निवासी कोटडा, तहसील कोटडा जिला उदयपुर (राज.)
2. सुश्री सुनिता कुमारी पुत्री दशरथलाल शर्मा निवासी कोटडा, तहसील कोटडा जिला उदयपुर (राज.)

–

निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्रीमती रमीला बेन पत्नी दशरथलाल शर्मा निवासी कोटडा, तहसील कोटडा जिला उदयपुर (राज.)
2. ग्राम पंचायत कोटडा, पंचायत समिति कोटडा जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री सुरेश चन्द्र त्रिवेदी, अधिवक्ता निगरानीकर्ता।
2. श्रीमती भूमिका चौबिसा अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 ।

निगरानी अंतर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994
विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत कोटडा के पट्टा मिसल सं 86 आदेश दिनांक 05.05.21

*** निर्णय ***

दिनांक– 10-10-2024

प्रकरण में निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम के ग्राम पंचायत कोटडा के पट्टा मिसल संख्या 86 दिनांक 05.05.2021 के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि निगरानीकर्ता की माता स्व. राधा देवी के नाम का एक मकान मौजा कोटडा तह.कोटडा में स्थित है जिसका पडौस निम्न प्रकार है पूर्व– कांग्रेस ऑफिस, पश्चिम – आम रास्ता, उत्तर– मोहनलाल जी सिन्धी का केबिन, दक्षिण– शंकरलाल जी जोशी का मकान। उपरौक्त पडौस मध्य स्थित मकान की पूर्व से पश्चिम चौडाई 16 फिट 10 इंच, उत्तर से दक्षिण 26 फिट होकर कुलिया क्षैत्रफल 418.62 वर्गफीट है। निगरानीकता के परिवार का सजरा खानदान निम्न है–

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

दशरथ लाल पिता वेणीप्रसाद

राधादेवी (प्रथम पत्नी) फौत — रमीला बेन(द्वितीय पत्नी)

वर्तमान में पट्टा इसके नाम का बनाया

रविन्द्र कुमार — सुनीता कुमारी

दशरथ लाल की प्रथम पत्नी स्व. राधादेवी जब तक जीवित रही तब तक वर्णित माकन में निवास करती रही तथा उसके फोत होने के पश्चात वर्तमान समय में निगरानीकर्ता स्वंय निवास कर रहे हैं तथा सुख शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग कर रहे है। दशरथ लाल द्वारा वर्णित पडौस मध्य मकान का अपने द्वितीय पत्नी रमीला बेन के नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार कर मिसल संख्या 86 के जरिये दिनांक 05.05.2021 को पट्टा जारी करवा लिया तथा उक्त पट्टे की दिनांक 01.07.2021 को उप पंजीयक कोटडा द्वारा पट्टे का पंजीयन करवा लिया गया। पटटा फर्जी तथ्यों के आधार पर बनवाया है। विपक्षी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र दिनांक 05.02.2021 को सरपंच, ग्राम पंचायत कोटडा को पेश किया जिसमें पट्टा आवेदन के प्रार्थना पत्र पर चन्दन कुमार के हस्ताक्षर व हगामी बाई के अंगूष्ठ निशानी फर्जी अंकित किये हे। अनापत्ति पत्र पर भी इन दोनो के स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पर भी व आपत्ति आव्हान पत्र तथा ग्राम पंचायत, कोटडा में पट्टा जारी करने हेतु कायम की गई पत्रावली पर भी इन दोनो के अंगूष्ठ निशानी व हस्ताक्षर फर्जी है। उपरोक्त दस्तावेज पर चन्दन कुमार ने कोई हस्ताक्षर नहीं किये, न ही श्रीमती हगामी बाई द्वारा अंगुष्ठ निशानी लगाई गई। पंचायत में 50/– रूपये के स्टाम्प पर रमीला बेन द्वारा पेश किये गये शपथ पर भी रेवाशंकर पिता पन्नालाल मेघवाल, निवासी कोटडा के भी फर्जी हस्ताक्षर है। रेवाशंकर द्वारा उक्त शपथ–पत्र पर कोई हस्ताक्षर नहीं किये। पंचायत कोटडा द्वारा आवासीय भूमि का पट्टा जो जारी किया गया उस पर साक्षी के रूप में गवाह नगीन कुमार जो कि वर्तमान में सरपंच श्रीमती जयश्रीबेन का ससुर है, इसलिए दशरथलाल ने अपने प्रभाव से उक्त पट्टे पर नगीन कुमार के दस्तखत करवा लिये। ग्राम पंचायत कोटडा द्वारा पट्टे का पंजीयन करवाया गया उसमें आवासीय भूमि पट्टा पंजीकरण डीड पर भी दशरथ लाल की पुत्री तथा रमीलाबेन की पुत्री जया भारती के हस्ताक्षर हैं तथा उक्त महिला ग्रम पंचायत कोटडा में पंचायत सहायक के पद पर कार्यरत है, इसलिये षडयंत्र रचकर अपनी माता श्रीमती रमिला बेन के नाम से पट्टा जारी करते हुए पंजीयन करवा लिया। ग्राम पंचायत कोटडा के समक्ष पट्टा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

प्राप्त करने के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न पटवारी रिपोर्ट पर भी सम्बन्धित पटवारी की कोई रिपोर्ट नहीं है तथा बिना पटवारी के प्रमाणित करवाये ही प्रार्थना पत्र को रमिला बेन द्वारा पंचायत में पेश कर दिया गया । पट्टा जारी करने के लिए वैधानिक कमियां होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत कोटडा के सरपंच द्वारा रमिला बेन के पक्ष में आवासीय भूमि का पट्टा जारी करने में वैधानिक भूल की है। उक्त आवासीय मकान का पूर्व में यानि लगभग 30–35 वर्ष पूर्व पंचायत द्वारा श्रीमती राधादेवी के नाम से पट्टा जारी किया हुआ था जो पट्टा वर्तमान समय में दशरथ लाल के पास है तथा इस प्रकार सही तथ्यों को छिपाकर दशरथलाल ने अपनी द्वितीय पत्नी रमिला बेन के नाम से फर्जी तथ्यों का सहारा लेकर पट्टा बनवा कर पंजीयन करवा लिया, इसलिये ऐसी स्थिति में उक्त पट्टा खारिज फरमाये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र के साथ चन्दन कुमार पिता मोहनलाल सिन्धी एवं रेवाशंकर पिता पन्नालाल मेघवाल निवासी कोटडा के शपथ–पत्र संलग्न है। विपक्षी द्वारा मकान खाली करने की धमकी देने पर दस्जावेज निकलवाये तब जानकारी में आया एवं आते ही अविलम्ब प्रकरण पेश किया है जो अन्दर मयाद है। अतः प्रार्थना है कि निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई निगरानी को स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया पट्टा संख्या 86 पंजीयन दिनांक 01.07.2021 को निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे तथा अन्य कोई दाद मुफीद निगरानीकर्ता के पक्ष में हो उक्त दाद माननीय न्यायालय विपक्षीगण से दिलायी जाने का आदेश प्रदान कराया जावे तथा खर्चा मुकदमा व अधिवक्ता पारिश्रमिक भी दिलाया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिया गया। अधीनस्थ कार्यालय का रेकार्ड तलबी हेतु लिखा गया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि निगरानी की संपत्ति पूर्ण रूप से विपक्षी संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति होकर विपक्षी संख्या 1 उत्तरदाता के ही प्रारंभ से कब्जे में रही है, जिसे किराये पर भी विपक्षी संख्या 1 द्वारा ही दिया गया था एवं किराया भी स्वंय ही प्राप्त किया जाता रहा। ग्राम पंचायत कोटडा, पंचायत समिति कोटडा द्वारा विधिक रूप से विपक्षी संख्या 1 उत्तरदाता के पक्ष में पट्टा दिनांक 01.07.2021 को संकल्प 5/22 की पालना में दिनांक 05.05.2021 को पट्टा जारी किया गया, जिसकी रसीद सख्या 238 में दर्ज होकर रूपये 200/– विपक्षी उत्तरदाता के पक्ष में काटी गयी है, जिसकी पुस्तक संख्या 4/05.05.2021 है, जिसकी मिसल संख्या

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

86/05/02/2021 पुस्तक संख्या 4 पट्टा नम्बर 24318 सरपंच एवं अध्यक्ष कमेटी सचिव कोटडा के हस्ताक्षर एवं मुद्रा द्वारा जारी हुआ है, को सभी विधिक नियमों की पूर्ति कर कानूनन जारी किया गया है। अतः विपक्षी संख्या 1 उत्तरदाता की स्व. अर्जित सम्पति होने से उक्त संपति पर निगरानी लाये जाने का विधिनुरूप प्रार्थीगण कोई अधिकार नहीं रखते, जिससे उक्त निगरानी मेंटेनेबल ही नहीं है। प्रार्थीगण जबरन उक्त संपति पर अवैध रूप से उक्त संपति को कब्जा करने एवं हडपने की मंशा रखते है, जिस पर सक्षम कार्यवाही पूर्व में ही प्रारंभ की जा चुकी है। प्रार्थीगण उक्त स्वंय ही " wrong doer " होने से उक्त निगरानी हेतु विधिनुरूप कोई अधिकार नहीं रखते। वर्णित पडौस का मकान प्रारंभ से ही श्रीमती रमीला बेन पत्नी श्री दशरथलाल शर्मा का है एवं कब्जा उत्तरदाता का ही है। मकान एक तरीके से दुकान है। सजरे में श्रीमती राधादेवी को प्रथम पत्नी बताया है वह पूर्णतया गलत है। वास्तव में श्री दशरथलाल की पत्नी श्रीमती रमीला बेन है। स्व. श्रीमती राधादेवी ने वर्णित मकान में कभी निवास नहीं किया। यह मकान शुरू से ही श्री दशरथलाल शर्मा एवं उनकी पत्नी श्रीमती रमीला बेन के पास था एवं श्री दशरथलाल शर्मा इसी मकान में अपनी वैध पत्नी श्रीमती रमीला बेन के साथ रहते आये है। मकान का पट्टा नहीं होने से श्रीमती रमीला बेन ने उक्त मकान का पट्टा अपने नाम कराया जो पूर्वतः वैध है। श्री दशरथलाल शर्मा ने कोई फर्जी पट्टा नहीं बनवाया, बल्कि ग्राम पंचायत द्वारा पूरी तहकीकात कर नियमों के तहत जांच कर एवं जांच सही पाए जाने पर श्रीमती रमीला बेन के नाम पर पट्टा जारी किया, जो पूर्णतया सही है और फर्जी होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। पंजीयन ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा करवाया गया है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। सारे हस्ताक्षर, अंगुठा निशानी, निरिक्षण रिपोर्ट सब सही है। पुराने पट्टे की बात गलत है होता तो विपक्षी के नाम दुबारा पट्टा नही बनता। उत्तरदाता वर्षो से उक्त मकान में रह रहे थे, किन्तु निगरानीकर्ता एक खुंखार व्यक्ति है और आये दिन झगडा फसाद करता रहता है एवं श्री दशरथलाल से मारपीट भी करता है एवं झगडा करता है। सम्पति में अवैध रूप से हिस्सा लेना चाहता है। इसी क्रम में पुर्व में उत्तरदाता द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के पास शिकायत की थी। विशेष कथन पेश कर निवेदन किया कि वर्णित भूमि का पट्टा प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत कोटडा में आवेदन पेश किया, जिस पर पंचायत द्वारा मिसल संख्या 86 कायम की जाकर आवेदन पत्र की जांच की गई एवं जांच के लिए जो भी प्रावधान होते है, उनकी पूर्व पालना कर पट्टा जारी किया एवं पट्टे का पंजीयन आवश्यक होने से पंजीयन कराया गया, जो पूर्णतया नियमों के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

अन्तर्गत सही है। निगरानीकर्ता बहुत ही तेज तर्रार व खूंखार किस्म का व्यक्ति है, जो आये दिन लडाई झगडा करता रहता है और इसी कम में उसने उत्तरदाता को भी धमकाया और झगडा किया और मकान जो कि एक तरह से दूकान है, जिसे उत्तरदाता ने श्री किशनलाल प्रजापत को किराए पर दी थी। निगरानीकर्ता झगडा कर उक्त दूकान को हडपना चाहता है, जिस हेतु आये दिन झगडा करता रहता है। इस पर उत्तरदाता ने पुलिस में रिपोर्ट दी और उसके बाद एस.पी.साहब उदयपुर को शिकायत पेश की। निगरानीकर्ता ने दिनांक 31.01.2022 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से गलत नोटिस भिजवाया गया जिसमें जवाब दिनांक 16.02.2022 को दिया गया उसमें स्पष्ट किया गया कि श्रीमती रमीला देवी उनकी वैध पत्नी है। निगरानीकर्ता श्री दशरथलाल शर्मा से संपत्ति प्राप्त करना चाहता है इस गरज से उसने यह निगरानी आप मा. न्यायालय में प्रस्तुत की है जो कतई चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना है कि निगरानीकर्ता की निगरानी सव्यय निरस्त फरमावे।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि प्रार्थी के दो माता है। प्रथम मां मर गयी। राधादेवी के जिवित रहते प्रार्थी मकान मे रहता था। पिता ने दूसरी पत्नी के नाम पर पट्टा जारी करवा लिया जबकि मकान में मै प्रार्थी निवास कर रहा हूं। मेरा आधार कार्ड में माता–पिता का नाम अंकन है। 1996 का वोटर आईडी कार्ड है जिसमें पिता दशरथलाल है। रमीला की उम्र 53 वर्ष है ग्रहणी है तो स्वअर्जित सम्पनी कैसे हो सकती है। दिनांक 05.02.2021 को प्रार्थना पत्र पट्टे हेतु पेश किया था। पडौसी के कोई हस्ताक्षर नहीं है। पटवारी की कोई रिपोर्ट नहीं है। किसकी उपस्थिति में मौका पर्चा बनाया मौका कब देखा, दिनांक अंकित नहीं है। पट्टे पर रेवाशंकर के हस्ताक्षर है लेकिन पत्रावली में शपथ पत्र पेश कर कोई हस्ताक्षर नहीं करना बताया। चन्दनकुंवर के भी 4 हस्ताक्षर है लेकिन इन्होने भी शपथ पत्र पेश कर अपने हस्ताक्षर नहीं करने का कथन किया। जयभारती पुत्री है स्वतंत्र गवाह ने हस्ताक्षर नहीं किये। आम सूचना प्रकाशित नहीं हुई है। अतः पट्टा खारिज किया जावे। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज उसे नहीं दिलाये। पैतृक सम्पति पर कब्जा लेना चाहते है तो सक्षम न्यायालय में जावे। मकान विपक्षी के पति दशरथ की सम्पति है। पिता–पुत्र के बंटवाडे का मामला सिविल कोर्ट का है। राधादेवी आदिवासी महिला थी जिस कारण आश्रम में सुरक्षा दी, संरक्षक के रूप में पिता का नाम लिखाया, आपने पिता के नाम

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

अन्तर्गत सही है। निगरानीकर्ता बहुत ही तेज तर्रार व खूंखार किस्म का व्यक्ति है, जो आये दिन लडाई झगडा करता रहता है और इसी कम में उसने उत्तरदाता को भी धमकाया और झगडा किया और मकान जो कि एक तरह से दूकान है, जिसे उत्तरदाता ने श्री किशनलाल प्रजापत को किराए पर दी थी। निगरानीकर्ता झगडा कर उक्त दूकान को हडपना चाहता है, जिस हेतु आये दिन झगडा करता रहता है। इस पर उत्तरदाता ने पुलिस में रिपोर्ट दी और उसके बाद एस.पी.साहब उदयपुर को शिकायत पेश की। निगरानीकर्ता ने दिनांक 31.01.2022 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से गलत नोटिस भिजवाया गया जिसमें जवाब दिनांक 16.02.2022 को दिया गया उसमें स्पष्ट किया गया कि श्रीमती रमीला देवी उनकी वैध पत्नी है। निगरानीकर्ता श्री दशरथलाल शर्मा से संपत्ति प्राप्त करना चाहता है इस गरज से उसने यह निगरानी आप मा. न्यायालय में प्रस्तुत की है जो कतई चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना है कि निगरानीकर्ता की निगरानी सव्यय निरस्त फरमावे।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि प्रार्थी के दो माता है। प्रथम मां मर गयी। राधादेवी के जिवित रहते प्रार्थी मकान मे रहता था। पिता ने दूसरी पत्नी के नाम पर पट्टा जारी करवा लिया जबकि मकान में मै प्रार्थी निवास कर रहा हूं। मेरा आधार कार्ड में माता–पिता का नाम अंकन है। 1996 का वोटर आईडी कार्ड है जिसमें पिता दशरथलाल है। रमीला की उम्र 53 वर्ष है ग्रहणी है तो स्वअर्जित सम्पनी कैसे हो सकती है। दिनांक 05.02.2021 को प्रार्थना पत्र पट्टे हेतु पेश किया था। पडौसी के कोई हस्ताक्षर नहीं है। पटवारी की कोई रिपोर्ट नहीं है। किसकी उपस्थिति में मौका पर्चा बनाया मौका कब देखा, दिनांक अंकित नहीं है। पट्टे पर रेवाशंकर के हस्ताक्षर है लेकिन पत्रावली में शपथ पत्र पेश कर कोई हस्ताक्षर नहीं करना बताया। चन्दनकुंवर के भी 4 हस्ताक्षर है लेकिन इन्होने भी शपथ पत्र पेश कर अपने हस्ताक्षर नहीं करने का कथन किया। जयभारती पुत्री है स्वतंत्र गवाह ने हस्ताक्षर नहीं किये। आम सूचना प्रकाशित नहीं हुई है। अतः पट्टा खारिज किया जावे। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज उसे नहीं दिलाये। पैतृक सम्पति पर कब्जा लेना चाहते है तो सक्षम न्यायालय में जावे। मकान विपक्षी के पति दशरथ की सम्पति है। पिता–पुत्र के बंटवाडे का मामला सिविल कोर्ट का है। राधादेवी आदिवासी महिला थी जिस कारण आश्रम में सुरक्षा दी, संरक्षक के रूप में पिता का नाम लिखाया, आपने पिता के नाम

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

का गलत उपयोग किया है। छात्रावास में केवल वनवासी छात्र पढ़ते है। केवल प्रोपर्टी लेने के लिए पिता बना रहे है। हास्टल से निकलने के बाद कार्यवाही की है। सक्षम अधिकारी ग्राम पंचायत द्वारा मौका मुआयना करके पट्टा बनाया है। अपने क्षैत्र में जो प्रकिया अपनाते हुए वही अपनाकर पट्टा बनाया है। पट्टा बनाते वक्त आपत्ती क्यूं नहीं की। पडौसी के हस्ताक्षर की बात कर रहे है, यदि आप मकान में रह रहे थे, तो आप स्वंय आपत्ति दर्ज करा लेते। जयाकुमारी पंचायत में काम करती है तो गवाही नहीं दे सकती क्या। संरक्षक के रूप में मान्यता दी है उसी आधार पर दस्तावेज बनाये है। दशरथ शर्मा वर्तमान में जिवित है। पिता के साथ नहीं रहते है। प्रोपर्टी हडपने के लिए दावा किया है। अतः प्रकरण खारिज किया जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। रेकर्ड का गम्भीरता से अवलोकन करने के उपरान्त यह तथ्य स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उक्त निगरानी विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त कराने के लिए प्रस्तुत की गयी है। अधीनस्थ कार्यालय ग्राम पंचायत कोटडा का रेकार्ड तलब किया गया। मूल पुरूष दशरथलाल शर्मा की दो पत्नी होना बताया जिसमें प्रथम पत्नी श्रीमती राधादेवी फौत हो चुकी है उसी के वारिस प्रार्थीगण है। दशरथ लाल शर्मा की दूसरी पत्नी विपक्षी सख्या 1 श्रीमती रमीला बेन होकर इनके नाम से दशरथ लाल शर्मा द्वारा नियम 157 के तहत पुराने मकान का पट्टा मिसल संख्या 86 दिनांक 05.05.2021 से पट्टा प्राप्त कर लिया गया है। जबकि पैतृक सम्पत्ति मकान में पट्टा सभी वारिसान की सहमति के बाद ही बनाया जा सकता है। प्रार्थीगण जो कि दशरथ लाल शर्मा के वारिस है इनकी ओर से कोई सहमति प्राप्त नहीं की गई है। पट्टा पत्रावली में रेवाशंकर एवं चन्दनकुमार के हस्ताक्षर किये हुए है। जिसमें भी प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा इनकी ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र की छांया प्रति पेश की जिसमें इनके द्वारा किसी प्रकार के कोई हस्ताक्षर किया जाने से इनकार किया है। पत्रावली के अध्ययन से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि पैतृक सम्पति होकर इसमें पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रकिया अनुसार सभी विधिक वारिसान की सहमति आवश्यक थी, जो कि ग्राम पंचायत द्वारा नहीं लेकर विधिक रूप से त्रृटि कारित की है। अतः ग्राम पंचायत कोटडा द्वारा जारी पट्टा विधिक रूप से त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निगरानी अंतर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 का स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में ग्राम पंचायत कोटडा द्वारा जारी मिसल संख्या 86 दिनांक 05.02.2021 बुक संख्या 4 पट्टा संख्या 24318 दिनांक 05.05.2021 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की एक–एक प्रमाणित प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर, विकास अधिकारी प.स. कोटडा एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कोटडा को पालनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया ।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर (राज.)

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)